

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, केपिटल काम्पलेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक ८६२७ /एफ-१-८४/३१/एस-२/२०१७,
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक ०६/०६/२०१८

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखण्ड-बिलाईगढ़ की गोरबा नाला पर बुन्देला एनीकट कम काजवे योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-104 /बोधी/प्रशास्त्री./२०१७/१३८२२, रायपुर, दि. ०६.०९.२०१७

राज्य शासन एतद द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखण्ड-बिलाईगढ़ की गोरबा नाला पर बुन्देला एनीकट कम काजवे योजना के निर्माण हेतु लागत राशि रु. ५६२.५९ लाख (रुपये पाँच करोड़ बासठ लाख उनसठ हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना निर्स्तारी, भूजल संवर्धन एवं कृषकों के स्वयं के साधन से १५० हेक्टेयर क्षेत्र में रबी एवं १०० हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन सब्जी, कुल २५० हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका २.००६ के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-६४, अनुसूचित जाति उपयोजना, ४७०२-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {१०२}-भूतल जल ०१०३-अनुसूचित जाति उपयोजना (५०५९) एनीकट/स्टापडेम निर्माण, #२६- बृहद निर्माण कार्य, ००५-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. ३२३/ब-२/कम्प्यूटर क्रमांक-३१-०१६५७, दि. २९.०५.२०१८ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खेसा)
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

०२/६

पृष्ठमांक 3628 / एफ-1-84 / 31 / एस-2 / 2017,

नया रायपुर, दिनांक 06/06/2018

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
 2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
 4. प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
 5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
 6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 8. कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)।
 9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन रायपुर।
 11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 नया रायपुर।
 12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट रेटेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
 13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मण्डल, रायपुर।
 14. प्रभारी बजट शाखा, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर।
 15. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
16. आदेश पंजी।

S. (Rohit)
F. me

08 JUN 2018

संयुक्त संघर्ष
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर
02/6